रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस०एम० 14/91.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 12 मार्च, 1991/21 फाल्गुन, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 11 मार्च, 1991

संख्या 1-12/91-वि०स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर स्थावर सम्पति कर (निरसन) विधयक, 1991 (1991 का

विधेयक संख्यांक 6) जो दिनांक 11-3-1991 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुर:स्थापित हो गया है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

लक्ष्मण सिंह,
सचिव।

1991 का विधेयक संख्यांक 6.

हिमाचल प्रदेश नगर स्थावर सम्पत्ति कर (निरसन) विधेयक, 1991

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश अर्बन इम्मूवेबल प्रौपरटी टैक्स ऐक्ट, 1968 (1968 का 7) का निरसन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर स्थावर सम्पत्ति कर (निरसन) अधिनियम, 1991 है ।

(2) यह 1 अप्रैल, 1970 के प्रथम दिन से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

हिमाचल प्रदेश अर्बन इम्मूवेबल प्रौपरटी टैक्स ऐक्ट, 1968 का निरसन ।

2. हिमाचल प्रदेश अर्बन इम्मूवेबल प्रौपरटी टैक्स ऐक्ट, 1968 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

व्यावृत्तियां ।

3. धारा 2 के अधीन अधिनियम का निरसन,—

(क) उक्त अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या तद्धीन की गई या होने दी गई किसी बात; या

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत, या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या

(ग) उक्त अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड; या

(घ) उपर्युक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड से सम्बन्धित किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार;

को प्रभावित नहीं करेगा, और ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित, चालू या प्रवर्तनशील रखा जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा मानो उक्त अधिनियम निरसित नहीं किया गया हो ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश अर्बन इम्मूवेबल प्रौपरटी टैक्स ऐक्ट, 1968 राज्य के बारह नगरों में, 1 अप्रैल, 1969 से प्रवर्तन में है। क्योंकि ऐसा ही कर नगरपालिका और अधिसूचित क्षेत्र समितियों द्वारा भी प्रभारित किया जाता था, इसलिए इस अधिनियम के प्रवतन से रोष पैदा हो गया । इसके परिणामस्वरूप सरकार न जनवरी, 1971 में इस अधिनियम के अधीन कर की वसूली पर 1-4-1970 से रोक लगा दी ।

क्योंकि उपर्युक्त रोक अभी भी जारी है, इस अधिनियम से राजकोष को कोई आय नहीं हो रही है । नगर निगम, नगरपालिकाएं और अधिसूचित क्षेत्र समितियां, इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली स्थावर सम्पत्ति पर एसे ही कर का संग्रहण कर रही है । अतः उक्त अधिनियम को 1-4-1970 से निरसित करना आवश्यक समझा गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नगीन चन्द्र पाल,
प्रभारी मन्त्री ।

शिमला :
मार्च 11, 1991.

वित्तीय ज्ञापन

हिमाचल प्रदेश अर्बन इम्मूवेबल प्रौपरटी टैक्स ऐक्ट, 1968 (1968 का 7) का प्रथम अप्रैल, 1970 से निरसन करने पर राजकोष को न तो कोई आय और न ही कोई हानि होगी ।

तथापि 1-4-1970 के पश्चात् वर्ष 1970-71 से सम्बन्धित 92,548.12 रुपये का निर्धारण निष्फल हो जाएगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[आबकारी और कराधान विभाग की नस्ति सं0 ई0 एक्स0 एन0-सी (4) 2/85]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदश नगर स्थावर सम्पत्ति कर (निरसन) विधेयक, 1991 की विषयवस्तु क वार म सूचित किए जाने क पश्चात् भारत के संविधान क अनुच्छद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पर:स्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 6 of 1991.

THE HIMACHAL PRADESH URBAN IMMOVABLE PROPERTY TAX (REPEALING) BILL, 1991

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to repeal the Himachal Pradesh Immovable Property Tax Act, 1968 (*Act No.* 7 *of* 1968).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Urban Immovable Property Tax (Repealing) Act, 1991.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 1st day of April, 1970.

Repeal of the Himachal Pradesh Urban Immovable Property Tax Act, 1968.

2. The Himachal Pradesh Urban Immovable Property Tax Act, 1968 is hereby repealed.

Savings.

3. The repeal of the Act under section 2 shall not affect, —

(*a*) the previous operation of the said Act or anything duly done or suffered thereunder; or

(*b*) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Act; or

(*c*) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said Act; or

(*d*) any investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid,

and any such investigation, legal proceedings or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said Act had not been repealed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Urban Immovable Property Tax Act, 1968 is in operation *w.e.f.* 1st April, 1969 in twelve towns of the State. Since similar tax on property was also charged by the Municipal and Notified Area Committees the enforcement of this Act caused resentment. Consequently, in January, 1971 the Government stayed the recovery of tax under this Act, with effect from 1-4-1970.

Since the aforesaid stay is still continuing, this Act is yielding no income to the State Exchequer. As the Municipal Corporation, Municipal Committees and Notified Area Committees are collecting similar tax on immovable property covered by this Act, it is considered necessary to repeal the same *w.e.f.* 1-4-1970.

This Bill seeks to achieve the aforesaid object.

NAGIN CHANDER PAL,
Minister-in-charge.

SHIMLA :
Date 4-3-1991.

FINANCIAL MEMORANDUM

By repealing the Himachal Pradesh Urban Immovable Property Tax Act, 1968 (Act No. 7 of 1968) with effect from 1st April, 1970, there will be neither any income nor any loss of the State exchequer.

However, only the assessment of Rs. 92,548.12 pertaining to 1970-71 made after 1-4-1970 will become infructuous.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Nil

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[*Excise and Taxation Department file No. EXN-C* (4)-2/85]

The Governor, Himachal Pradesh, after having been informed of the subject-matter of the Himachal Pradesh Urban Immovable Property Tax (Repealing) Bill, 1991, recommends under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the said Bill in the State Legislative Assembly.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।